

कार्यालय :- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि० कनवास जिला कोटा

क्रमांक:- 754-756

दिनांक:- 25-11-18

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का पत्र क्रमांक Gen./XIX/Misc./2002/609 दिनांक 18.05.2018 एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा पत्रांक 1654-1658 दिनांक 22.05.2018 की अनुपालना में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु अधिनियम-2013 की धारा 4 के अन्तर्गत कनवास मुख्यालय हेतु तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु निम्न प्रकार समिति गठित की जाती है :-

1. श्री नमोनारायण मीना, पीठासीन अधिकारी  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास  
(मो. नं. 9887244544)
2. श्रीमती सुनीता सुमन, लिपिक ग्रेड द्वितीय, सदस्य  
कार्या०-न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास  
(मो. नं. 7568564219)
3. श्री हंसराज मीना, रीडर ग्रेड तृतीय, सदस्य  
कार्या०-न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास  
(मो. नं. 9928108849)

समिति का कार्यकाल अधिनियम के विधायी प्रावधानों की शर्तों के अधीन रहेगा।  
उक्त समिति प्राप्त शिकायतों को स्थाई रजिस्टर में प्रविष्टि कर इनका निराकरण निर्धारित  
समयावधि में करते हुए माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा को सूचित करेगी।

— 8d —

सिविल न्यायाधीश  
एवं न्यायिक मजि० कनवास

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा।
2. सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी/सदस्यगण।
3. नोटिस बोर्ड न्यायालय हाजा
4. कार्यालय प्रति।

सिविल न्यायाधीश  
एवं न्यायिक मजि० कनवास